

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं 4(1)चिस्वा/2/24 / EFILE-09858 जयपुर, दिनांक:

डॉ० मंयक मोदी,
तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालासर।

मार्फत-निदेशक(जन स्वा),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज०जयपुर।

—कारण बताओ नोटिस—

विषय:— स्वैच्छिक अनुपस्थिति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि डॉ० मंयक मोदी, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालासर दिनांक 03.12.2017 से 25.06.2019 तक (600 दिवस) स्वैच्छा से अनपुस्थित रहने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(प्रीति माथुर)
शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
7880616

Document certified by PREETI MATHUR
<adweCELL.we@rajasthan.gov.in>

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :09-06-2024 06:42:01

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/एम-2160/2024/२५७

दिनांक : 11/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके राजकाज नं 7880616 दिनांक 09.06.2024 के क्रम में।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- बीकानेर ।
3. प्रधानाचार्य, जयपुर नेशनल इन्सट्यूट फॉर मेडिकल साईसेस एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को डॉ० मयंक मोदी (जन्मतिथी 15.09.1990) चिकित्सा अधिकारी हाल पीजी अध्ययनरत इमरजेन्सी मेडिसिन को तामील करवा कर तामील रसीद निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ चुरु को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को सम्बन्धित चिकित्सक को तामिल करवाते हुये तामिल रसीद अविलम्ब निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे ।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सालासर रतनगढ चुरु ।
6. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, गोपनीय राजपत्रित अनुभाग मुख्यालय ।
7. डॉ० मयंक मोदी (जन्मतिथी 15.09.1990) चिकित्सा अधिकारी तत्कालीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालासर रतनगढ चुरु हाल जयपुर नेशनल इन्सट्यूट फॉर मेडिकल साईसेस एण्ड रिसर्च सेन्टर जयपुर में पीजी अध्ययनरत इमरजेन्सी मेडिसिन को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के ।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त नोटिस को सम्बन्धित अधिकारियों की मेल आईडी पर अपलोड करावें।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर ।